न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0,
जिला ग्वा0

प्र. क्र. /2017–18 अपील अपील-3264/2018/ग्वालियर/भू.25

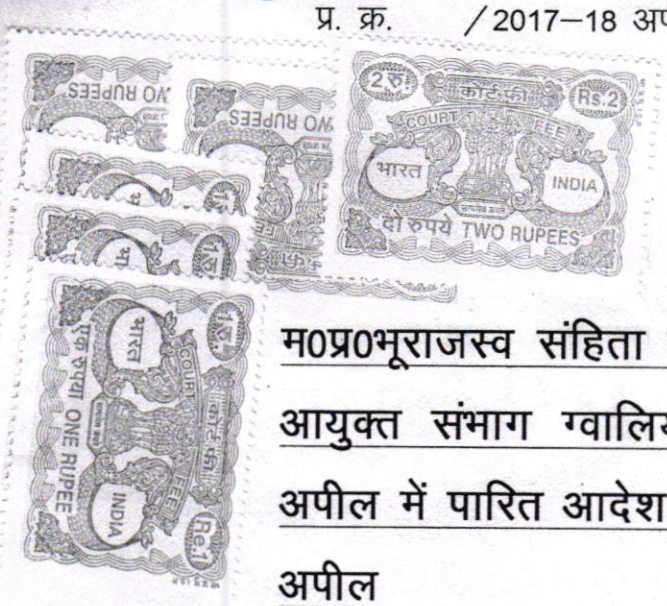

फेरनसिंह पुत्र श्री महाराजसिंह निवासी ग्राम शालुपुर तहसील व जिला ग्वालियर.....**प्रार्थी**

बनाम

म0प्र0शासन .....**प्रतिप्रार्थी**

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 44(2) के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 213 /2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांकी 25.05.2016 के निर्णय के विरूद्ध अपील

श्रीमान जी,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-3264/2018/ग्वालियर/भू.रा. [फेरनसिंह आदि]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.06.2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2018 को लगभग 2 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है। विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत विधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलंब के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं हैं। इस संबंध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	